

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
के०जी०एम०यू० लखनऊ | 6 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ |
| 2 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जी.एस.वी.एम. कालेज, कानपुर | 7 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद |
| 3 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा | 8 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर |
| 4 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ | 9 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा |
| 5 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी | |

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./2/2016-17/5908-9 दिनांक: 29.9.16
विषय:-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार कराये जाने के संबंध में
वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसव इकाईयों पर प्रशिक्षित स्टाफ, घरेलू प्रसव में गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा तथा आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। सभी बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु उन्हें सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज में संदर्भित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों का मेडिकल कालेज/टरशरी यूनिट पर चिन्हित बीमारियों हेतु निःशुल्क आपरेशन किये जाने का प्राविधान है।

ए.5.2 रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशरी केयर-

कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जिकल प्रोसिजर हेतु चिन्हित टरशरी इकाईयों में संदर्भित लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का प्राविधान आर.सी.एच. प्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड ए.5.2 रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशरी केयर मद में किया गया है।

क्र० संख्या	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि लाख में	सर्जिकल प्रोसिजर हेतु चिन्हित टरशरी इकाईयों का नाम जिसको डी.एच.एस. से धनराशि अवमुक्त की जानी है
1	जिला स्वास्थ्य समिति, आगरा	25.00	सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा
2	जिला स्वास्थ्य समिति, इलाहाबाद	25.00	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
3	जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा	25.00	उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
4	जिला स्वास्थ्य समिति गोरखपुर	25.00	बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर
5	जिला स्वास्थ्य समिति, झांसी	25.00	रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी
6	जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर	25.00	जी.एस.वी.एम. कालेज, कानपुर
7	जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ	50.00	के०जी०एम०यू० लखनऊ
		50.00	एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ
8	जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ	25.00	एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ
कुल धनराशि		275.00	

गतिविधि के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपरोक्त धनराशि को संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उक्त चिन्हित टरशरी इकाईयों के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। इस हेतु मुख्य

चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए धनराशि प्राप्त कर ली जाये। धनराशि का उपयोग दिये गये निम्न मानकानुसार किया जाए।

शल्य चिकित्सा हेतु 8 चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं के निःशुल्क उपचार हेतु दिशा निर्देश:-

- आर०बी०एस०के० के अर्न्तगत लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/आर०बी०एस०के०/०९/२०१६-१७/४६५१-९ दिनांक २२.०८.२०१६ द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये (संलग्नक)।
- चिन्हित संस्थाओं में चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु पब्लिक सेक्टर से तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाये। समिति द्वारा यह तय किया जाना है कि संदर्भित लाभार्थी में कोई सर्जिकल प्रोसिजर अपनाया जाना है अथवा नहीं। यदि सर्जिकल प्रोसिजर अपनाया जाना है तो किस प्रकार का एवं कब किया जाना है। इसके लिए समिति द्वारा लाभार्थी अथवा लाभार्थी के मेडिकल रिकार्ड का परीक्षण किया जायेगा। जिला चिकित्सालय के नोडल/जनपदीय नोडल अधिकारी-आर०बी०एस०के०/डी०ई०आई०सी० मैनेजर लाभार्थी के इलाज हेतु चिन्हित संस्था के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/समिति से समन्वय स्थापित करते हुये लाभार्थी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जिन बच्चों हेतु सर्जिकल प्रोसिजर के लिए धनराशि क्लेम की जायेगी उनका सम्पूर्ण रिकार्ड निम्न सर्जिकल प्रोसिजर स्वास्थ्य दशा तालिका के अनुसार दर्शाये गए प्रीऑपरेटिव एवं पोस्टऑपरेटिव जांचों एवं फोटो सहित चिकित्सीय संस्था के पास मूल रूप में रखा जायेगा एवं उसकी एक प्रति जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/डी०ई०आई०सी० मैनेजर के पास भेजा जायेगा, जिससे कि यह कभी भी ऑडिट के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
- क्लेम तभी पारित किये जायेंगे जब समिति द्वारा सर्जिकल प्रोसिजर की पूर्व स्वीकृति (preauthorization) दी गयी हो तथा उसके सभी प्रीऑपरेटिव एवं पोस्टऑपरेटिव रिकार्ड सुरक्षित हो। क्लेम उसी सर्जिकल प्रोसिजर के लिये मान्य होंगे जिसके लिए समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी गयी हो। पूर्व स्वीकृति निम्न प्रोसिजर के अनुसार दी जायेगी।
 1. Finding in screening cum referral form
 2. Preauthorization investigation done (bare iminumum investigation should be conducting)
 3. Preauthorization approval in writing for treatment undertaken.
- सर्जिकल प्रोसिजर स्वास्थ्य दशा तालिका में सर्जिकल प्रोसिजर के सम्मुख दर्शायी गयी धनराशि की सीमा तक ही धनराशि अनुमन्य होगी।
- सर्जिकल प्रोसिजर स्वास्थ्य दशा तालिका में प्रत्येक सर्जिकल प्रोसिजर के लिये जो संस्थाएं अनुमन्य की गयी हैं केवल वही संस्थाएं उस सर्जिकल प्रोसिजर करने के लिए अनुमन्य होंगी।
- धनराशि क्लेम करने के लिए संस्था अध्यक्ष (Head of the institution) द्वारा प्रत्येक केस के लिए लिखित रूप से अलग-अलग निम्नवत Letter of Disclaimer जारी किया जायेगा। "No fund are collected/raised from any quasi government institutions, corporate, professional bodies or individuals towards the procedure before and after".
- सर्जिकल प्रोसिजर के बाद बच्चों के फालोअप का रिकार्ड भी संस्थानों एवं जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/डी०ई०आई०सी० मैनेजर के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- चिकित्सा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को प्रत्येक माह के अन्त में संलग्न प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/डी०ई०आई०सी० मैनेजर को रिपोर्ट प्रेषित की जानी होगी, जिसकी एक प्रति राज्य स्तर पर स्टेट नोडल अधिकारी-आर.बी.एस.के., परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं आर०बी०एस०के० अनुभाग एस०पी०एम०यू०-एन०एच०एम० को भी प्रेषित की जायेगी।

सर्जिकल प्रोसिजर स्वास्थ्य दशा तालिका						
Sr No	Health Condition	Surgical Procedure	RBSK Cost maximum limit for claim	Institutions where it can be performed	Pre Operative investigations	Post Operative investigations
1	Talipes	CTEV correction - Casting (UL)	1250	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and all Medical Colleges	Cl. photo	Cl. photo
		CTEV correction - Casting (BL)	2,500		Cl. photo	Cl. photo
		CTEV correction - Tenotomy (UL)	1,000		Cl. photo	Cl. photo
		CTEV correction - Tenotomy (BL)	1500		Cl. photo	Cl. photo
2	Developmental Dysplasia of the Hip (DDH)	Pavlik Harness	1,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and all Medical Colleges	X-ray/ Cl. photo	Physiotherapy Report
		Closed reduction and Hip spica	15,000		X-ray Hip - AP/lateral view/ Cl. photo	Physiotherapy Report
		Open reduction and Hip spica	30,000		X-ray Hip - AP/lateral view/ Cl. photo	X-ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation notes,
		Open reduction with Femoral Osteotomy	45,000		X-ray/ MRI / Cl. photo	X ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation notes, Physiotherapy Report
		Open reduction with Femoral and Acetabular Osteotomy	60,000		X-ray/ MRI / Cl. photo	X ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation notes, Physiotherapy Report
		Femoral Osteotomy	30,000		X-ray/ MRI / Cl. photo	X ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation Notes, Physiotherapy Report
		Acetabular Osteotomy	40,000		X-ray/ MRI / Cl. photo	X ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation notes, Physiotherapy Report
		Pelvic Support Osteotomy	40,000		X-ray/ MRI / Cl. photo	X ray, Intra-op photo, Case Sheet with operation notes, Physiotherapy Report

3	Congenital Cataract	Paediatric Cataract Surgery (Phacoemulsification IOL)	20000	SGPGIMS, KGMU, and Meerut, Agra, Kanpur and Allahabad Medical Colleges	Fundus fluorescence photo	Cl. photo, Fundus fluorescence
4	Congenital deafness	Behind Ear Analogue Hearing Aid	10000	All Medical Colleges, KGMU, UP University of Medical Sciences, Saifai	Pure Tone Audiometry (PTA)/ Impedance Audiometry (IA) (with Stapedial Reflex)	Cl. photo with hearing aid
5	Congenital Heart Disease (CHD)	ASD Device Closure	95000	KGMU and SGPGIMS only (capacity to deal with sub-10 kilogram patients not adequate)	Echocardiogram (Echo) / ECG (Electro Cardiogram)/ Chest X-ray PA view (1 film)/ Cardiac CATH/ TEE (Transesophageal Echocardiogram)	Echo, ECG, Procedure CD
		ASD Surgical Closure	85000	KGMU and SGPGIMS only (capacity to deal with sub-10 kilogram patients not adequate)	Echo/ ECG / Chest X-ray PA view (1 film)/ TEE / CT angiography (Coronary angiography)	Echo
		AVSD / AV Canal Defect repair	1,60,000	KGMU and SGPGIMS only (capacity to deal with sub-10 kilogram patients not adequate)	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)/ TEE / CT angiography	Echo
		VSD Device Closure with PDA device	75,000	KGMU and SGPGIMS only (capacity to deal with sub-10 kilogram patients not adequate)	Echo/ ECG / Chest X-ray PA view (1 film)	Echo, ECG, Procedure CD
		VSD Device Closure with VSD device	95,000	KGMU and SGPGIMS only (capacity to deal with sub-10 kilogram patients not adequate)	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo, ECG, Procedure CD
6	Retinopathy of prematurity	Photocoagulation for ROP	10000	KGMU Only	Fundus photo	Cl. photo, Fundus fluorescence
7	Otitis Media	Myringotomy with grommet for one ear	10,000	All Medical Colleges	PTA/ IA (with stapedial reflex)/ OTO endoscopy/ OTO endoscopy photos	PTA, IA (with stapedial reflex), Grommet in position photo

		Myringotomy with grommet for both ears	15,000	All Medical Colleges	PTA/ IA (with Stapedial Reflex)/ OTO endoscopy/ OTO endoscopy photos	PTA, IA (with stapedial reflex), Grommet in position photo
		Myringoplasty	16,000	All Medical Colleges	PTA	PTA
		Myringoplasty with ossiculoplasty	17,000	All Medical Colleges	PTA/ IA (with stapedial reflex)/ X-Ray of both Mastoids/ OTO endoscopy/ OTO endoscopy photos	PTA
		Tympanoplasty / Cortical mastoidectomy	17,000	All Medical Colleges	PTA/ IA (with stapedial reflex)/ X-Ray of both Mastoids/ OTO endoscopy/ OTO endoscopy photos	X ray, PTA, Scar and graft photos
		Radical / Modified radical Mastoidectomy	18,000	All Medical Colleges	PTA / IA (with stapedial reflex)/ X-Ray of both Mastoids/ OTO endoscopy/ OTO endoscopy photos	X ray, PTA, Scar and graft photos, IA (with stapedial reflex), X-ray both mastoids after 6 weeks, Scar photo
8	Rheumatic Heart Disease	Closed mitral valvotomy	40,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo, Chest X-ray PA view (1 film)
		Open mitral valvotomy	1,10,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo-showing Stent In Situ, Chest X-ray PA view (1 film), ECG, Procedure CD
		Balloon Mitral valvotomy	30,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo-showing Stent In Situ, Chest X-ray PA view (1 film), ECG, Procedure CD
		Mitral valve replacement (with valve)	1,45,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-Ray PA view (1 film)/ Cardiac CATH/ TEE	Echo-showing Valve In Situ, Procedure CD

	Mitral valve replacement (Bioprosthetic valve)	1,60,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo-showing Valve In Situ, Procedure CD
	Mitral valve repair (without Prosthetic ring)	1,10,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo Showing Valve In Situ, Procedure CD
	Mitral valve repair (with Prosthetic ring)	1,40,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Chest X-Ray PA View (1 Film)	Echo Showing Valve In Situ, Procedure CD
	Double valve replacement (with valve)	1,80,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Cardiac CATH/ Chest X-ray PA view (1 film)	Echo, Chest X-ray PA view (1 film)
	Double valve replacement (Bioprosthetic valve)	2,00,000	KGMU UP University of Medical Sciences, Saifai and SGPGIMS only	Echo/ ECG/ Cardiac CATH/ Chest X-Ray PA View (1 Film)	Echo Showing Valve In Situ, Procedure CD

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देश:-

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु जारी किये गये ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में जिस सीमा तक धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच. एम/2012-13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/5067-2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त गतिविधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./2/2016-17/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. डा० अजय खेड़ा, उपायुक्त बाल स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. डा० अरुण सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार, आर.बी.एस.के. भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, के०जी०एम०यू० लखनऊ उ०प्र०।
5. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ उ०प्र०।

6. प्राधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा, एम.एल.एन. मेडिकल कालेज इलाहाबाद, बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी, जी.एस.वी.एम. कालेज कानपुर, एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ उ०प्र०।
7. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० को इस आशय से कि वे उक्त प्रोजेक्ट के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
9. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आगरा, इलाहाबाद, इटावा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ उ०प्र०।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा, एम.एल.एन. मेडिकल कालेज इलाहाबाद, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी, जी.एस.वी.एम. कालेज कानपुर, के०जी०एम०यू० लखनऊ, एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ, एल.एल.आर.एम. मेडिकल कालेज, मेरठ उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त गतिविधियों के संबंध में धनराशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त कर दी गई है अतः संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर धनराशि प्राप्त करने का कष्ट करें, जिसका उपयोग उपरोक्त दी गई शर्तों के अनुसार किया जाए। उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा दिये गये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु जारी किये गये ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय किये जायें, तथा धनराशि का व्यय जिस कार्यक्रम/मद में आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाए।
11. वित्त नियंत्रक, एन.एच.एम. एस.पी.एम.यू. लखनऊ।
12. मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद के संदर्भित लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार हेतु उक्त निकटम मेडिकल कालेज/संस्थान में संदर्भित करने का कष्ट करें एवं इन लाभार्थियों का विस्तृत विवरण आर.बी.एस.के मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें।
14. संबंधित मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/डी.ई.आई.सी. मैनेजर एन.एच.एम. उ०प्र०।

(डा० स्वप्ना दास)
महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.